न्यायालय जिला कलकटर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 04/2017

अपीलांट
1.तुलछाराम पुत्र मुकनाराम
2.गोविन्दराम पुत्र मुकनाराम
जाति गाडोलिया लोहार
तहसील शिव

बनाम

रेस्पोडेंटस
राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार,शिव

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 02.07.1981 जो तहसीलदार शिव द्वारा मौजा शिव के नामान्तरकरण सं. 1085 पर पारित किया गया।

उपस्थितः– 1.श्री पवन सिंहल अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से।
2.श्री सोहन दवे राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय दिनांक 17.04.2018

1. संक्षेप में अपीलांट्स की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स के पिता मुकना पुत्र लांगा को भूमि आवंटन सलाहकार समिति शिव द्वारा मौजा शिव के खसरा नम्बर 26 रकबा 26–17 बीघा भूमि का दिनांक 01.10.1977 को नियमन किया गया। जिसके फलस्वरूप पटवारी हल्का शिव ने नामान्तरकरण संख्या 1085 भरकर तहसीलदार शिव के समक्ष पेश किया। तहसीलदार शिव ने 11 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने का दिनांक 02.07.1981 को आदेश पारित किया। अपीलांट्स का यह कथन है कि अपीलांट्स के पिता मुकना की 26–17 बीघा भूमि का नियमन किया गया, मगर नामान्तरकरण 26–17 बीघा का पारित नहीं कर नामान्तरकरण की परत पर उपर 26–17 बीघा अंकित किया, लेकिन नीचे 11 बीघा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिनांक 02.07.1981 पारित किया। इस आदेश को गलत एंव नियम विरूद्ध बताते हुए अपीलांट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश किया। अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर मियाद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट्स ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी पेश किया गया।
2. हमने अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंट को सम्मन किया एंव अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

3. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलांट्स के पिता मुकनाराम के कब्जे काश्त की भूमि मौजा शिव के खसरा नम्बर 26 रकबा 26–17 बीघा आई हुई थी, जिस पर अपीलांट्स के पिता मुकनाराम के जीवनकाल से कब्जा काश्त है। जिसमें अपीलांट की रहवासी ढाणी,चारागाह पानी का टांका इत्यादि बने हुए है। इस आधार पर भूमि आवंटन अधिकारी,परगना अधिकारी व तहसीलदार शिव द्वारा अपीलांट के पिता मुकनाराम का खसरा नम्बर 26 रकबा 26–17 बीघा भूमि का नियमन करने का आदेश पारित किया गया और तहसीलदार शिव ने आवंटन आदेश कंमाक 545 दिनांक 04.04.1981 व 337 दिनांक 26.03.81 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1085 पारित किया गया। मगर रेस्पोडेंट तहसीलदार शिव ने अपीलांट के पिता मुकनाराम की कब्जा काश्त की भूमि 26–17 बीघा का नामान्तरकरण पारित नहीं कर,नामान्तरकरण की परत पर 26–17 बीघा अंकित किया गया और नीचे 11 बीघा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने का आदेश पारित किया गया है जो अपने आप में आवंटन कमेटी के निर्णय दिनांक 01.10.1977 की अवहेलना एंव विधि विरूद्ध है। उन्होने तर्क दिया कि तहसीलदार शिव द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1085 पारित करते समय अपीलांट के पिता मुकना पुत्र लांगा को सुनवाई का कोई समुचित अवसर नहीं दिया और न ही इसकी जानकारी उसके पिता को दी गई जबकि कानूनन कोई भी राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि करते समय व किसी प्रकार की कोई नामान्तरकरण कार्यवाही करने से पूर्व संबंधित प्रभावी पक्षकार व काश्तकारों को जानकारी दी जाती है, मगर ऐसा नहीं किया गया। तहसीलदार शिव ने बिना जॉच किये अपनी मन मर्जी से पारित किया, जो निरस्त काबिल है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपीलांट के गरीब एंव भूमिहीन ग्रामीण व्यक्ति होने से विकल्प के रूप में अन्य जगह भूमि आवंटन करने का भी निवेदन किया। मियाद के सम्बन्ध में इनका तर्क है कि अपीलांट्स को आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 1085 दिनांक 02.07.1981 की जानकारी नहीं हो सकी क्योंकि अपीलांट एक अशिक्षित,ग्रामीण परिवेश एंव कानुन की जानकारी नहीं होने के कारण रेस्पोडेंट द्वारा साजिशी तरीके से नामान्तरकरण की जानकारी नहीं दी गई। अपीलांट को आज दिन तक यही समझते रहे कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में जरिये नामान्तरकरण पारित किया गया है वह अपीलांट के पिता मुकना वल्द लांगा के जीवनकान मे आवंटन भूमि का है कुछ दिन पूर्व जब अपीलांट की भूमि पर अनजान,अजनबी लोगो व तहसीलदार शिव द्वारा अपीलाट के कब्जे काश्त व दखलंदाजी व हस्तक्षेप करने पर अपीलांट्स को उनके कब्ज काश्त से जबरन बेदखल करने का प्रयास किया गया तब अपीलांट्स ने जमाबन्दी एंव नामान्तरकरण की प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया, जो दिनांक 13.01.2017 को प्राप्त हुई और जानकारी तिथि से अपील अंदर मियाद पेश की गयी है। इसलिये अपीलांट्स

जिला कलक्टर
बाड़मेर

की अपील स्वीकार की जाकर 11 बीघा भूमि का दिनांक 02.07.1981 को पारित नामान्तरकरण संख्या 1085 अपास्त कर अपीलांट्स के वास्तविक कब्जा काश्त अनुरूप भूमि रकबा 26–17 बीघा भूमि का अमल दरामद करने का आदेश फरमावे।

4. इसके जवाब में राजकीय अधिवक्ता का यह तर्क है कि नियमन भूमि पर आवंटी का जितनी भूमि पर कब्जा काश्त था उसी के अनुरूप नामान्तरकरण पारित किया गया है। अपीलांट्स ने यह अपील काफी विलम्ब से पेश की है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है क्योंकि वादग्रस्त भूमि का अपीलांट्स ने 1989 मे ही बेचान कर दिया था। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण पारित होने की अपीलार्थी को जानकारी नहीं होने तथा पटवारी हल्का से जमाबंदी प्राप्त करने पर होने के तथ्य सही नहीं होने से प्रस्तुत अपील करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु समुचित एंव पर्याप्त कारण नहीं माना जा सकता। इसलिये अपीलार्थी को अपील स्पष्ट रूप से मियाद होने एंव नामान्तरकरण सही पारित होने से अपील खारिज की जाए।

5. हमने दोनो पक्षों के तर्को पर मनन किया। पत्रावली एंव तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट्स ने यह तहसीलदार शिव द्वारा मौजा शिव के नामान्तरकरण संख्या 1085 पर पारित आदेश दिनांक 02.07.1981 के विरूद्ध धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत दिनांक 16.01.2017 को हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट्स ने धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का जो प्रार्थना पत्र पेश किया है उसमें विवादित आदेश का सर्वप्रथम ज्ञान अपील पेश करने के 5–7 दिन पूर्व होना बताया है। परन्तु इस प्रार्थना पत्र एंव इसके संलग्न शपथ पत्र में जो कारण बताये गये है, वे कतई स्पष्ट नहीं है कि इतने वर्षो तक अपीलांट को इस आदेश का ज्ञान क्यों नहीं हुआ। शपथ पत्र में यह कहीं भी वर्णित नहीं किया गया है कि किस तिथि से किस तिथि तक की देरी को क्षम्य कराना चाहते है। अपीलांट को धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में स्पष्ट बताना था कि उसे अपीलाधीन आदेश का ज्ञान किस तारीख को, किस प्रकार से एंव किसके द्वारा हुआ। मगर अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया है। अपीलांट को मयाद को क्षमा करने हेतु विलम्ब के प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण देना चाहिये। जो नहीं दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान पूर्व में हो चुका था, क्योंकि भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अपीलांट्स के पिता मुकना को मौजा शिव के खसरा नम्बर 26 रकबा 26–17 बीघा का नियमन किया गया, जिसके फलस्वरूप नामान्तरकरण संख्या 1085 दिनांक 02.07.1981 को 11 बीघा का पारित किया गया। मुकना के फौत होने पर फौतगी का नामान्तरकरण संख्या 1176 दिनांक 10.02.1983 को मुकना के वारिशान अपीलांट तुलछा,गोविंद वगेरा के नाम पारित किया गया है। अपीलांट्स ने इस राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर 11 बीघा भूमि का जरिये

जिला कलक्टर
बाड़मेर

रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 22.07.1989 को किया गया है इससे प्रकट है कि अपीलांट्स को इसकी जानाकरी 1983 में थी। अपीलांट्स को इन तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद यह अपील काफी विलम्ब से पेश की है व 34 साल की लम्बी अवधि को क्षमा करने हेतु कोई आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।अतः अपीलांट की अपील स्पष्ट रूप से मियाद है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एंव तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 01.10.1977 को मुकना पुत्र लांगा को मौजा शिव के खसरा नम्बर 26 रकबा 26–17 बीघा भूमि का नियमन किया गया उक्त नियमन आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1085 भरा गया जिसमें खसरा नम्बर 26 में नियमन भूमि 26–17 बीघा की बजाय केवल 11 बीघा का इन्द्राज किया गया। तत्पश्चात मुकना पुत्र लांगा के फौत होने पर उसके वारिस कोजा,तुलच्छा गोविन्दा पिसरान मुकना व धापू पत्नि मुकना के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 1176 दिनांक 10.02.1983 भरा गया है।मुकना के वारिशान अपीलांट तुलछा वगैरा ने नियमन 11 बीघा भूमि का बेचान भीयाराम पुत्र श्रीराम व मालाराम पुत्र तुलछाराम वगैरा को किया गया जिसका नामान्तरकरण संख्या 1371 दिनांक 22..07.1989 को पारित हुआ है। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में अपीलांट्स खसरा नम्बर 26 के खातेदार नहीं होने और खसरा नम्बर 26 के जिस जगह अपीलांट द्वारा अपना कब्जा काश्त बताया गया, वहा पर किसी भी प्रकार का पक्का निर्माण मकानात आदि नहीं होना बताया है। अतः अपीलांट्स वादग्रस्त खसरा की भूमि के खातेदार होने एंव भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त होना साबित नहीं कर सका है। अतः तहसीलदार शिव द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1085 दिनांक 02.07.1981 सही एंव विधिवत पारित किया गया है, इसमें कोई अनियमितता एंव त्रुटि प्रतीत नहीं हुई है। अपीलांट्स चाहे तो भूमि आवंटन हेतु पृथक से आवंटन कमेटी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु स्वतंत्र है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर एंव सारहीन होने से खारिज की जाती है एंव तहसीलदार शिव द्वारा मौजा शिव के नामान्तरकरण संख्या 1085 पर पारित आदेश दिनांक 02.07.1981 यथावत रखा जाता है।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 17.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर